रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97

REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 446] **नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 1997/कार्तिक 26, 1919**

No. 446] **NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 1997/KARTIKA 26, 1919**

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1997

सा०का०नि० 651 (अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (अवकाश) (संशोधन) विनियम, 1997 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

कांडला पोर्ट कर्मचारी (अवकाश) (संशोधन) विनियम, 1997

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पोर्ट का न्यासी मंडल कांडला पोर्ट कर्मचारी (अवकाश) विनियम, 1964 को आगे संशोधित करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

I. ये विनियम "कांडला पोर्ट कर्मचारी (अवकाश) (संशोधन) विनियम, 1997" कहे जायेंगे।

II. ये विनियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे जो बोर्ड की सेवा में नियोजित हैं तथा "क" तथा "ख" प्रवर्ग के तटीय कामगार और ऐसे पृथक्कार तथा चिह्नक जिन तक "ख" प्रवर्ग के तटीय कामगार को यथा अनुज्ञेय लाभ बढ़ाये गए हैं, उन पर लागू किये जायेंगे।

III. निम्नलिखित विनियमों में उपदर्शित संख्या "180" को "240" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

(1) विनियम 7 का उप विनियम (ii)

(2) विनियम 8 (1) के अधीन परन्तुक

(3) विनियम 8 (1) के अधीन द्वितीय परन्तुक

(4) विनियम 8 का उप विनियम (3)

(5) विनियम 14 का उप विनियम (6)

(6) विनियम 14 का उप विनियम (7)(क)

(7) विनियम 14 के उप विनियम (7) के अधीन व्याख्या (3)

(8) विनियम 14 के उप विनियम (8)

(9) विनियम 14 का उप विनियम (9) (क)(i)

(10) विनियम 14 का उप विनियम (9) (क)(iii)

(11) विनियम 14 के उप विनियम (9) (ख) के अधीन टिप्पणी (2)

IV. विनियम 14 के उप विनियम (9) (क)(ii) में उपदर्शित संख्या "90" को "120" के रूप में स्थापित किया जाएगा ।

V. विनियम 14 के उप विनियम (9) के पश्चात् निम्नलिखित को उप विनियम (10) के रूप में अन्त:स्थापित किया जाएगा:—

"(10) अधिवर्षिता के आधार पर बोर्ड से सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी अपने खाते में जमा संपूर्ण अर्ध वेतन अवकाश को भूना सकता है और ऐसा इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जाएगा कि समतुल्य नकद के रूप में देय राशि में से पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के समतुल्य पेंशन की कटौती की जाए।

(11) निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नकदीकरण किया जाएगा:—

(i) विनियम 14 के उप विनियम (9)(ख)के नीचे दी गई टिप्पणी (i)(ख) में जैसा कि उपबंधित है उसी प्रकार से अर्ध वेतन अवकाश के नकदीकरण की राशि परिकलित करते हुए अर्जित अवकाश के नकदीकरण सहित अदा की जाएगी।

(ii) इस प्रकार परिकलित राशि एक बारी भुगतान के रूप में एकमुश्त अदा की जाएगी।"

सचिव, कांडला पोर्ट ट्रस्ट

[फा०सं०पी०आर० 12016/9/97-पी०ई०-I]

के०वी० राव, संयुक्त सचिव।

पाद टिप्पण.—मुख्य विनियम सा०का०नि०307(अ) के अधीन दिनांक 29-2-64 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए एवं तत्पश्चात् संशोधित किए गए:—

(i) सा०का०नि० 1257 (अ) के अधीन दिनांक 5-12-86 द्वारा;

(ii) सा०का०नि० 875 (अ) के अधीन दिनांक 31-10-90 द्वारा।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 1997

G.S.R. 651(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of 132 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees (Leave) Amendment Regulations, 1997 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

KANDLA PORT EMPLYEES (LEAVE)(AMENDMENT) REGULATIONS, 1997

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the following regulations further to amend the Kandla Port Employees (Leave) Regulations, 1964, namely :—

I. These Regulations may be called "Kandla Port Employees (Leave) (Amendment) Regulations, 1997."

II. These Regulations shall apply to all persons who are employed in the service of the Board, and shall be extended to 'A' & 'B' category shore workers and Sorter & Markers who have been extended the benefits as admissible to 'B' category shore workers.

III. The figure "180" appearing in the following Regulations shall be substituted as "240" :—

(1) Sub-Regulations (ii) of Regulations 7.

(2) Proviso under Regulation 8 (1).

(3) 2nd Proviso under Regulation 8(1).

(4) Sub-Regulation (3) of Regulation 8.

(5) Sub-Regulation (6) of Regulation 14.

(6) Sub-Regulation (7) (a) of Regulation 14.

(7) Explanation (3) under Sub-Regulation (7) of Regulation 14.

(8) Sub-Regulation (8) of Regulation 14.

(9) Sub-Regulation (9) (a) (i) of Regulation 14.

(10) Sub-Regulation (9) (a) (iii) of Regulation 14.

(11) Note (2) below Sub-Regulation (9)(b) of Regulation 14.

IV. The figure "90" appearing in Sub-Regulation (9)(a)(ii) of Regulation 14 shall be substituted as "120;"

V. After Sub-Regulation(9) of Regulation 14, the following shall be inserted as Sub-Regulation(10).

"(10) An employee of the Board who retires on super annuation shall be allowed to encash the entire half pay leave (HPL) at his credit subject to the condition that pension and pension equivalent of other retirement benefits shall be deducted from the amount payable as cash equivalent.

(11) The encashment will be subject to the following conditions:—

(i) The amount of encashment of HPL will be calculated in the manner as provided under Note (1) (b) below Sub-Regulation (9) (b) of Regulation 14 and paid together with encashment of Earned Leave.

(ii) The amount so calculated shall be paid in one lump sum as a one time settlement."

Secretary, KANDLA PORT TRUST

[F.No. PR-12016/9/97-PE-I]

K.V. RAO, Jt. Secy.

FOOT NOTE.—The Principal regulations were published in the Gazette of India, vide GSR 307(E) dated 29-02-64 and subsequently amended vide :—

(i) GSR 1257 (E) dated 5-12-86.

(ii) GSR 875 (E) dated 31-10-90.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997